न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीहोर
पीठासीन अधिकारी : श्री एम.के. वर्मा

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक–234 / 2026
फाईलिंग नंबर–बीए / 3595 / 2026
सी.एन.आर. नंबर–एमपी37010042662026
संस्थित दिनांक 27.07.2026

1. एकता परमार पुत्री श्री कैलाश परमार, आयु 26 वर्ष,
2. मंजू परमार पुत्री श्री कैलाश परमार, आयु 28 वर्ष,
3. श्रीमती सोरमबाई पत्नी श्री कैलाश परमार, आयु 60 वर्ष,
   निवासीगण : ग्राम जानपुर बावड़िया, थाना मण्डी,
   तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मण्डी,
जिला सीहोर (म.प्र.)

.....राज्य / अनावेदक

:: आदेश दिनाँक 29.07.2026 की प्रतिलिपि ::

अधिकारिता –

आरक्षी केन्द्र, मण्डी, जिला सीहोर के अपराध क्रमांक–156 / 2026 अंतर्गत धारा–115(2), 118(1), 296(बी), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंध में प्रतिवेदन सहित यह अंतरिम प्रतिभूति आवेदन पत्र, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर के आदेश से अंतरण पर प्राप्त।

उपस्थिति –

आवेदकगण / अभियुक्तगण द्वारा श्री चंद्रप्रकाश वर्मा अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्रीमती शहाना रईस खान, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

तर्क श्रवण किए गए। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

इस आदेश द्वारा जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

सुसंगत विवरण –

1.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	धारा–482
2.	आवेदन प्राप्ति दिनांक	27.07.2026
3.	आवेदक के अधिवक्ता	श्री चंद्रप्रकाश वर्मा
4.	अभियोजन पक्ष	श्रीमती शहाना रईस खान ए.जी.पी.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक–825/2026 जेबा खान विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026 आई.एन.एस.सी. 144'' में दिए गए निर्देशानुसार।

प्रकरण का विवरण :

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	156/2026	आरक्षी केन्द्र	मण्डी
अपराध की दिनांक	09.06.2026		
धाराएं	धारा–115(2), 118(1), 296(बी), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023		
अधिकतम् दण्ड	आजीवन कारावास		
आपराधिक प्रकरण क्रमांक	–		
उपार्पण/ विचारण न्यायालय	–		

अभिरक्षा एवं प्रक्रिया पालन :

गिरफ्तारी दिनांक	–
न्यायिक अभिरक्षा	–

विचारण की प्रास्थिति :

कार्यवाही का प्रक्रम	–
अभियोग पत्र में नामित कुल साक्षियों की संख्या	–
अभियोजन द्वारा परीक्षित किए गए साक्षियों की संख्या	–

अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास :

आरक्षी केन्द्र	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	धाराएं	लंबित/ दोषमुक्त/ दोषसिद्ध
कोतवाली, जिला सीहोर	608/2024	धारा–296, 115(2), 118(1), 351(3), 3(5) बीएनएस, 2023	राजीनामा

मण्डी, जिला सीहोर	1430 / 2023	294,323,506,34 भा. द.सं., 1860	लंबित

पूर्व जमानत आवेदन का विवरण :

सत्र न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय का नाम	
जमानत आवेदन की संख्या	निराकरण का विवरण
–	–

बलपूर्वक कार्यवाही :–

अजमानतीय वारण्ट या उद्घोषणा की कार्यवाही	–

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का विवरण :
{चंदूसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, (2008) 4 एमपीएचटी 467}

शपथकर्ता का नाम	एकता परमार, मंजू परमार एवं सोरमबाई
अभियुक्तगण से शपथकर्ता का संबंध	स्वयं
शपथ पत्र दिनांक	25.07.2026
पूर्व में निराकत आवेदन का विवरण	–
लंबित जमानत आवेदन का विवरण	–

<u>आवेदकगण का पक्ष</u> –

आवेदकगण के विरूद्ध ऊपर वर्णित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदकगण द्वारा ग्राम जानपुर बावड़िया, तहसील व जिला सीहोर स्थित अपने घर की दीवार से लगा हुआ 40 गुणा 40=2400 वर्गफीट का प्लॉट गोविंद चंद्रवंशी से क्रय कर विधिवत् मुरम डालकर तथा खम्बे गाड़कर आधिपत्य प्राप्त किया गया था, जिस पर विक्रेता गोविंद के भाई सुंदर वर्मा, भाभी सीमाबाई तथा सुंदरवर्मा की दोनों पुत्रियों सलोनी एवं अनुष्का द्वारा घूड़ा डालकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। विनोद परमार द्वारा मना करने पर गाली–गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत थाना मण्डी में दिनांक 08.06.2026 को की गई। इसी बात पर सुंदर वर्मा, सीमाबाई, सलोनी वर्मा एवं अनुष्का वर्मा ने हाथ में हसिया लेकर दिनांक 09.06.2026 को आवेदकगण के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। मंजू परमार को बलपूर्वक घर के अंदर

से घसीटते हुए घटनास्थल तक ले गए, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी–पापा और भाई बाहर आए और बीचबचाव करने लगे। सुंदर वर्मा द्वारा आवेदिका के पिता कैलाश परमार के पीठ में हसिये से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो विनोद परमार की पत्नी रीना परमार द्वारा बनाया गया है, जिसमें आरोपीगण हाथ में हसिया लेकर गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विनोद परमार द्वारा थाना मण्डी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आवेदकगण निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस ने सीमाबाई के साथ मिलकर आवेदकगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है तथा गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदिका एकता परमार एल.एल.एम. की छात्रा है। आवेदकगण अंतरिम जमानत हेतु न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रत्येक शर्त का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदकगण/ अभियुक्तगण को अंतरिम प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

<u>अभियोजन का पक्ष</u> –

अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

<u>फरियादी/आहत की ओर से आपत्तिः–</u>

फरियादी/आहत सीमाबाई की ओर से उक्त जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त विनोद द्वारा धारदार दराते से उसकी बाएं हाथ की अंगुली का काटकर अलग कर दिया है, मंजूबाई ने सलोनी को बांयी जांघ में दांतों से काट लिया, सोरमबाई ने अनुष्का को दराते से बाएं हाथ में मारा तथा एकता ने अनुष्का को बाल पकड़कर घसीटा। आवेदकगण द्वारा पूर्व में भी उनके साथ लड़ाई–झगड़ा किया गयाहै तथा राजीनामा हेतु दबाव बनाया जा रहा है। यदि अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वे आपत्तिकर्ता एवं उसके परिवार को धमकाएंगे तथा साक्षियों को गवाही देने से रोकेंगे एवं प्रभावित करेंगे। अतः फरियादी ने आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा–482 बी.एन.एस.एस., 2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

<u>केस डायरी के तथ्य</u> –

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि फरियादी सलोनी वर्मा द्वारा दिनांक 09.06.2026 को थाना मण्डी, जिला सीहोर में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 09.06.2026 को शाम 05:30 बजे वह, उसकी बहन अनुष्का और मां सीमा घूड़ा फेंकने के लिए प्लॉट पर गए थे, तभी विनोद परमार ने मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए कहा कि हमारे प्लॉट पर आने की हिम्मत कैसे हुई, और दराता उठाकर उसकी मां को मारा, जिससे बाएं हाथ की अंगुली कटकर लटक गई और खून निकलने लगा तथा कंधे पर भी चोट आई। फरियादी और उसकी बहन ने बीचबचाव किया तो मंजू परमार और कैलाश परमार ने बाल पकड़कर गिरा दिया और मंजू ने फरियादी की बांयी जांघ में काट लिया।

सोरमबाई ने अनुष्का को दराते से मारा, जिससे उसे चोट आई। एकता ने अनुष्का को बाल पकड़कर घसीट दिया, जिससे उसके हाथ–पैरों में चोटें आई। बबीता, फरियादी के पिता सुंदरलाल, बड़े पापा गोविंद वर्मा और लखनलाल वर्मा ने बीचबचाव किया तो वे लोग जाते–जाते बोले कि आईन्दा प्लॉट पर आए तो जान से खत्म कर देंगे। तत्पश्चात् घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

<u>आवेदन के संबंध में अभिमत</u> –

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत सीमा को धारदार अस्त्र दराते से घोर उपहति कारित की है। साथ ही, दराते से सोरमबाई ने अनुष्का को चोट पहुंचाई है। आवेदकगण के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा दो अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। प्रकरण में अनुसंधान अभी जारी है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण **एकता परमार, मंजू परमार** एवं **श्रीमती सोरमबाई** द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जमानत आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

नियम–117–ख मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) के अनुसार आदेश की प्रति आवेदकगण को प्रदान की जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र मण्डी, जिला सीहोर को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में प्रेषित किए जावे।

हस्ता./–
(एम.के. वर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला–सीहोर (म.प्र.)

MAHESH KUMAR VERMA

Digitally signed by MAHESH KUMAR VERMA
Date: 2026.07.29 18:13:29 -0400